

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 16.03.2023**

**किराना व्यापारी से हुई लूट की घटना का खुलासा, 04 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, लूट के 1,64,200/-रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 अदद सैन्ट्रो कार, 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल व 02 अदद अवैध तमंचा कारतूस बरामद—**

दिनांक 10.03.2023 को थाना को० देहात क्षेत्र के अन्तर्गत खमहरिया मोड़ सिसऊर अंदुपुर के पास टेम्पो रूकवा कर थाना इटियाथोक क्षेत्र के रहने वाले किराना व्यापारी चन्द्रप्रकाश पाण्डेय पुत्र रामबरन पाण्डेय के साथ कार सवार 04 अज्ञात लूटेरो द्वारा लूट (रू० 4,50,000/- व 16,000/- के कूपन) की घटना कारित की गयी थी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के सफल अनावरण हेतु प्र०नि० को० देहात व प्रभारी एस०ओ०जी०/सर्विलांस/साइबर सेल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात व थाना धानेपुर व एस०ओ०जी०/सर्विलांस सेल/साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकान्त गौतम के नेतृत्व में सुरागरसी-पतारसी कर घटना कारित करने वाले 04 आरोपी लूटेरो-01. चन्द्रशेखर, 02. राममनोहर, 03. निलेश, 04. संदीप वर्मा को वहद ग्राम मलारी के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,64,200/- रूपये, 01 अदद सैन्ट्रो कार, 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल व जामातलाशी के दौरान अभियुक्त निलेश वर्मा के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त संदीप वर्मा के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा अपने अन्य 02 साथियों के साथ किराना व्यापारी से लूट करने की बात स्वीकार की गयी। पुलिस टीम द्वारा फरार 02 अन्य लूटेरो की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को० देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. चन्द्रशेखर पुत्र कामिनी प्रसाद नि० अलफनगर रुद्रगढ नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. राममनोहर पुत्र श्रीराम नि० लालक मोफिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. नीलेश वर्मा पुत्र स्व० अन्नू नि० अडवडहा मौजा उज्जैनी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
04. संदीप वर्मा पुत्र राम उजागिर नि० परौती लाल मौजा उज्जैनी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-114/23, धारा 34,395,412 भादवि व 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. अभियुक्त चन्द्रशेखर दूबे के कब्जे से 44,900 रुपया।

02. राम मनोहर पुत्र श्री राम के कब्जे से 19,300 रुपया।

03. नीलेश वर्मा के कब्जे से 52,700 रुपया व एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

04. संदीप वर्मा उपरोक्त के कब्जे से 47,300 रुपया व एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

05. 01 अदद सैन्ट्रो कार नम्बर एम0एच0 43 एन0 5046

06. 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल नम्बर यू0पी0 43 ए0वी0 8485

### गिरफ्तारी कर्ता टीम:—

01. प्र0नि0 को0 देहात महेन्द्र कुमार सिंह मय टीम।

02. थानाध्यक्ष धानेपुर बृहन्नन्द सिंह मय टीम।

02. प्रभारी स्वाट/सर्विलांस/साइबर सेल संतोष कुमार सिंह मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 16.03.2023**

**चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस बरामद-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज संसार सिंह राठी के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोपी अभियुक्त पवन सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद तमंचा .12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद की गई। जिसके सम्बन्ध में थाना तरबगंज में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की है तथा इसके रजि0 नम्बर DL11SX8610 को बदल कर लोकल का नम्बर प्रयोग करता था।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. पवन सिंह पुत्र पंचराज सिंह निवासी ग्राम धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0 108/2023 धारा 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज गोण्डा।

**अनावरित अभियोग—**

01. मु0अ0सं0 501/2022 धारा 379 भा0द0वि0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0 10/2023 धारा 379 भा0द0वि0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा

03. मु0अ0सं0 87/2023 धारा 379 भा0द0वि0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल।

02. 01 अदद तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. उ0नि0 सोमप्रताप सिंह मय टीम

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 16.03.2023**

### **शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **07 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना परसपुर पुलिस ने 05, थाना करनैलगंज पुलिस ने 01, थाना मनकापुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

#### **01. थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. दिनेश पुत्र दहूराम निवासी पृथ्वीनाथ चौराहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 75/23, 02. राम भवन वर्मा पुत्र प्रहलाद वर्मा नि0 नन्द नगर नरायनपुर माफई थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 75/23, 03. सत्यराम पुत्र मायाराम नि0 नन्द नगर नरायनपुर माफई थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 76/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **02. थाना तरबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. रामजग कोरी पुत्र राम अवतार निवासी कोरिन पुरवा मौजा सिंगहा चन्दा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 23 पाऊच अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 109/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **03. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. श्रीमती पूनम पत्नी स्व0 बिखारी नि0 नरायनपुर रामापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 125/2023, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।